न्यायालय,भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 268 वर्ष 2022

आवेदक– मकुन्द महतो	क्रेता– सोहराय महतो
ग्राम – बसरिया टोला– –––	ग्राम –बसरिया टोला–
थाना – कसमार जिला–बोकारो	थाना – कसमार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
19/10/2023	आदेश	C.C. Issued 02/11/23

आदेश

यह वाद आवेदक– मकुन्द महतो पिता स्व0 गिरधारी महतो ग्राम बसरिया थाना–कसमार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1),(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
बसरिया	142	05	678	2.83 ए0	40 डी0	दोन–दो

को वे अपना आवश्यक घरेलू खर्च हेतु मो0 2,70,000/– (दो लाख सत्तर हजार) रूपये में क्रेता–सोहराय महतो पिता जयराम महतो निवासी ग्राम–बसरिया थाना–कसमार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 984/रा0 दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक 547 दिनांक 23.11.2022 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम बसरिया थाना–कसमार जिला–बोकारो का के स्थानीय निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि मौजा बसरिया खाता न0 5 सर्वे खतियान में बिक्रेता के परदादा मकुन्द महतो वेगै0 के नाम से है तथा उसकी जमाबन्दी पंजी–II में खतियानी रैयत के नाम से दर्ज है एवं वर्ष 2022–23 तक सरकारी लगान रसीद निर्गत है।
03. घरेलू बँटवारा के अनुसार बिक्री वाली जमीन बिक्रेता के अंश की है, जिसपर उसका दखल–कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, अधिग्रहण क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके परदादा मकुन्द महतो एवं अन्य के नाम सर्वे

खतियानी जमीन है जो बिक्रेता को घरेलू बँटवारा के तहत उसे हासिल है। उक्त जमीन की जमाबन्दी भी उन्हीं के नाम से चल रही है, एवं बिक्रेता के अंश की जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश क्रेता के साथ बिक्री कर रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन विवादित नहीं है, तथा वर्तमान में बिक्रेता के दखल कब्जे में है।

उभय पक्षों के द्वारां निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत किया गयाः–

01. बिक्रेता– मकुन्द महतो वेगै0 के नाम सर्वे खतियान एवं अन्य के नाम सरकारी लगान रसीद, स्वयं के नाम जाति/आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– स्वयं के नाम जाति/आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत अर्थात बोकारो जिला में निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के पूर्वज के नाम सर्वे खतियानी जमीन है एवं बिक्रेता अंश की जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

अतः बिक्रेता– मकुन्द महतो पिता स्व0 गिरधारी महतो ग्राम बसरिया थाना–कसमार जिला– बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
बसरिया 142	5	678	2.83 ए0	40 डी0	सीमाना मौजा उदयमारा	रास्ता	हराधन महतो वेगै0	हराधन महतो वेगै0

को मो0 2,70,000/–(दो लाख सत्तर हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निधारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता–सोहराय महतो पिता जयराम महतो निवासी ग्राम–बसरिया थाना–कसमार जिला –बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.09 11:47:31 +05:30
Location: 192.168.1.3